

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प 3(15)नवि/II/2021

जयपुर, दिनांक

29 JUN 2022

आज्ञा

राजस्थान नगर नियोजन सेवा के वरिष्ठ नगर नियोजक की दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में अस्थाई (Provisional) वरिष्ठता सूची एतद्वारा निम्नानुसार प्रसारित की जाती है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	चयन का माध्यम एवं विवरण		विशेष विवरण
		पदोन्नति वर्ष	रिक्ति तिथि	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री मुकेश चन्द मित्तल	2015-16	01.04.2015	-
2.	श्री रवि राय वर्मा (अजा)	2015-16	01.04.2015	-
3.	श्रीमती रिकू बंसल	2016-17	01.04.2016	-

नोट:- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक के वर्ष 2020-21 के पदों पर पदोन्नति हेतु सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश अनुसार श्री मुकेश चन्द मित्तल एवं श्री रवि राय वर्मा के पदोन्नति आदेश राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रसारित होने पर उक्त वरिष्ठता सूची परिवर्तनीय रहेगी।

जिन अधिकारियों को इस सूची में नियत किए गए स्थान से असंतोष/आपत्ति हो तो वे स्वयं का लिखित अभ्यावेदन मय प्रमाणित दस्तावेजों के अस्थाई (Provisional) वरिष्ठता सूची जारी किए जाने की तिथि से 15 दिवस में इस विभाग को प्रस्तुत कर सकते हैं। नियम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा एवं उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची को स्थाई (अन्तिम) वरिष्ठता सूची माना जाएगा। यह नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट WWW.udh.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

आज्ञा से,




(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. वरिष्ठ शासन उपसचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. मुख्य नगर नियोजक, जयपुर, राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय